

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.1V/ 3174

जयपुर, दिनांक: 6-8-2014


अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 29 के उपनियम (3) तथा सपठित नियम 56 के उपबन्धों के अंतर्गत पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतीकों में से एक आवंटित किया जायेगा। अतः राज्य निर्वाचन आयोग पंच एवं सरपंच के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी को एक निर्वाचन प्रतीक आवंटित करने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/09/वा.1V/2479 दिनांक 29.7.09 को अधिक्रमित करते हुए निम्नांकित सारणी में वर्णित निर्वाचन प्रतीकों को विनिर्दिष्ट करता है -

सारणी

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बल्ला	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	केतली
3.	गुब्बारा	23.	हारमोनियम
4.	बुश	24.	स्टूल
5.	मोमबत्तियाँ	25.	मेज
6.	कैमरा	26.	टेबिल लैम्प
7.	कोट	27.	टेलीविजन
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	बल्लेबाज	29.	पतंग
10.	काँच का गिलास	30.	प्रेसर कुकर
11.	कप और प्लेट	31.	कैची
12.	चारपाई	32.	गैस सिलेण्डर
13.	छत का पंखा	33.	नारियल
14.	लेटर बॉक्स	34.	सिलार्ड की मशीन
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	शटल	36.	ब्रीफकेस
17.	वायलिन	37.	प्रेस
18.	छड़ी	38.	टेलीफोन
19.	बाल्टी	39.	ऑटो रिक्शा
20.	बैटरी टार्च	40.	बोतल

आदेश से,


(सत्यप्रकाश बसवाला)

सचिव,


राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: संख्या 7(1)(7)पंचा/रानिआ/2009/वो.1V/ 3175-80

दिनांक : 6-8-2014

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6(ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावे।
2. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ राजस्थान राजपत्र विशेषांक में तत्काल प्रकाशनार्थ।
3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलेक्टर), राजस्थान।
6. प्रभारी अधिकारी (भण्डार शाखा) को अग्रिम कार्यवाही हेतु।


(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।